Traditional Trends and Contemporary Challenges in Business, Commerce, Humanities, and Social Sciences *https://www.kdpublications.in*

ISBN: 978-93-94570-67-2

सिंहभूम की हो जनजातियों की मानकी–मुण्डा स्वशासन व्यवस्था

राजेश कुमार प्रमाणिक

पीएच॰ डी॰ शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा.

शोध सारांश:

भारतीय उपमहाद्वीप के झारखण्ड प्रांत के दक्षिण में स्थित सिंहभूम का एक अलग ही इतिहास रहा है। प्राकृतिक वन सम्पदा एवं विभिन्न खनिजों से परिपूर्ण इसकी अविरल़ धाराएँ आज भी जीवंत है। जिसे समय–समय पर अधिकार करने के लिए विदेशी लोग हमेशा लालायित रहें है। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहे। अंग्रेजों के आने से पहले प्रशासनिक दृष्टिकोण से सिंहभूम का यह क्षेत्र विभिन्न शासकों यथा–पोड़ाहाट, सरायकेला, खरसावां धालभूम के शासकों के अधीनस्थ था।

जिनकी अपनी एक अलग शासन व्यवस्था रही थी। इनके अलावे सिंहभूम के क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों के हो जनजातियों की अपनी एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। गांवों का प्रधान मुण्डा कहलाता था। तथा कई गांवों को मिलाकर एक पीड़ बनता था, जिसका प्रधान मानकी होता था। इसके अतिरिक्त डाकुआ, तहसीलदार, तीन मानकी, दिउरी तथा यात्रा दिउरी आदि पद भी होते थे। सम्मिलित रूप से यह व्यवस्था मानकी–मुण्डा स्वशासन प्रणाली के नाम से जाना जाता था। समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन समय से ही उनकी यह पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था रही थी। गांवों की यह व्यवस्था एक छोटे प्रजातंत्र के समान थी। प्राचीन काल से सक्रिय मानकी–मुण्डा व्यवस्था को ब्रिटिश हुकुमत के दौरान मान्यता दी थी। इस वर्तमान समय में भी इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। मानकी–मुण्डा को संजीवनी प्रदान करने में थॉमस विल्किंसन का सहयोग अविस्मरणीय है। अंग्रेजों की नई नीतियों के प्रभाव से 'हो' समाज अछूत नहीं रह सका। उनके मानसिक क्षितिक्ष को चौड़ा किया। उन्हें अपनी स्वदेशी आदिवासी संस्कृति में गर्व की एक नई भावना पैदा की । नई कारकों ने एक नई सामाजिक चेतना का उदभव का मार्ग प्रशस्त किया। जो एक जनजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अंग्रेजों के मुताबिक उन्होंने सिंहभूम पर लोक कल्याण पर आधारित शासन प्रणाली का विकास किया, जिसके वजह से विल्किंसन नियम सामने आया था, जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार कोल्हान में 1947 तक करती रही।

कुंजी शब्द :

मानकी–मुण्डा व्यवस्था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण, कोल्हान सेटलमेंट रिपॉर्ट, कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की स्थापना, विल्किंसन रूल आदि।

परिचय :

भारतीय इतिहास लेखन के बदलते हुए आधुनिक दृष्टिकोणों की ओर संकेत कर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो इतिहास लेखन का क्षेत्र दिन–प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के झारखंड के छोटानागपुर के दक्षिण स्थित पर्वतों, जंगलों और नदियों की घाटियों से आवृत्त सिंहभूम प्रदेश का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन मगध और सुदूर पूर्व के प्रदेशों के मध्य स्थित इस क्षेत्र पर प्रकृति की हमेशा कृपा रही है।

इस की अपार वन सम्पदा बहुमूल्य खनिज हमेशा के लिए मानवों के आकर्षण का केन्द्र रहा है और यही कारण है कि समय–समय पर सभ्य मानव अपनी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के लिए यहां आए और अपना निवास स्थान भी बना लिया था। जो आज यहां की इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय बना हुआ है। [1]

यद्यपि इसके प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है हमें मिलती है। फिर भी जितनी जानकारी प्राप्त है उसका प्रारम्भ पाषाण काल से है। यह क्षेत्र तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड के इने–गिने क्षेत्रों में है। जहां पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक सामग्रियाँ पाई गयी है। चूँकि प्रकृति की कृपा हमेशा इस क्षेत्र पर रही है।

अतः जीवन की सभी सुविधाएँ यहां के जंगलों से उपलब्ध रही थी। अतः शिकारी फल चूनने वाले, गुफामानव आसानी से यहां विचरण कर सके थे। यही कारण है कि पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष सिंहभूम क्षेत्र के रोरो नदी और सोना नदी में पाये गये है। इस तथ्य की जानकारी सर्वप्रथम कैप्टेन विचिंग को 1868 ईस्वी में हुई। [2]

भौगोलिक स्थिति :

भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंहभूम छोटानागपुर के दक्षिणी हिस्सा है। जो 21^0 58′ और 23^0 36′ उत्तरी अक्षांश और 85^0 0′ और 86^0 54′ पूर्वी देशातंर के बीच स्थित है। इसके उत्तरी भाग में रांची जिला तथा पश्चिम में उड़िसा राज्य, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में उड़िसा तथा रांची जिला में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक सिंहभूम की चरम लंबाई 124 मी और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 84 मील है। [3]

सामान्य शारीरिक लक्षण, छोटे से माध्यम कद, गहरे रंग, लहराते बाल, लंबे सिर और चौड़ी नाक जिसे नस्लीय रूप से पूर्व–द्रविड़ियन या प्रोटो–ऑस्ट्रेलायड के रूप में जाना जाने वाले सिंहभूम के 'हो' जनजाति भाषाई रूप से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की कोलारियन या मुंडारी शाखा से संबंधित है। ये अपनी जनजातीय मातृभाषा बोलने के अलावा कुछ क्षेत्रों में हिन्दी, बंगाली या उड़िया का भी उपयोग करते है। [4]

ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र की एक अलग पहचान रही है। यह क्षेत्र भू–सम्पदाओं जैसे–क्वार्टजाइट, अभ्रक, ग्रेनाइट, ताम्र एवं लौह अयस्क आदि तमाम अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों एवं सारण्डा तोलकोबाद दलमा तथा अन्य महत्वपूर्ण वनों से आच्छादित है। [5]

विश्व के बड़े जंगलों में गणना होती है। यहां ऐसे पेड़–पौधे पाये जाते है जो अन्य जंगलों में पाये नहीं जाते है। सिंहभूम को सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी तथा अन्य सहायक नदियाँ इसके संकीर्ण विभाजन को अन्य क्षेत्रों से अलग करती है। [6] भू–गर्भीय रूप से सिंहभूम न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जिले में से एक है।

नामकरण :

सिंहभूम शब्द दो शब्दो के मेल से बना है। 'सिंह' जिसका अर्थ है– किसी नाम विशेष एवं भूम का अर्थ है– भूमि। जैसे मानभूम, धालमूम, बराभूम आदि। सिंहभूम के नामकरण के संबंध में विभिन्न विचार विद्वानों ने दिए है–एक विचार यह है कि पोड़ाहाट के शासकों के सिंहवंश के नाम पर इस प्रदेश का नाम सिंहभूम हुआ है। जैसे–धाल राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र धालभूम के नाम से जाना जाता है। एक मत यह भी है कि 'हो' आदिवासी के देवता 'सिंहबोंगा' के नाम पर सिंहभूम का नामकरण हुआ है। एक विचार यह भी है कि उस काल में कोल्हान जंगलों में सिंह पाये जाते थे। परन्तु आज ये नष्ट हो गये है या खत्म हो गये है। यहां बाघ, शेर, चीता, हाथी आदि जानवर अभी भी पाये जाते है। [7]

'हो' जनजाति का उत्प्रवास की घटना तथा कोल्हान :

भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों (क्षेत्रों) में निवासित विभिन्न जनजातियों के विभिन्न समयों में उत्प्रवास (पलायन) की घटना ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र की एक अलग विशेष विशेषता है। [8] स्थायी रूप से बसे सिंहभूम के 'हो' जनजाति कभी मुण्डा जनजाति के हिस्सा थे। जब मुण्डाओं और उंरावों ने अपने एक राजा को चुना तो वे लोग जो राजतंत्र के अधीन रहना नहीं चाहते थे, जो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे मुल जनजाति को छोड़कर छोटानागपुर के दक्षिण–पूर्व में चले गए। यहीं 'हो' लोग सिंहभूम के उस हिस्से में बस गई जिसे अब 'कोल्हान' के नाम से जाना जाता है। [9]

सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 'कोल्हान' नाम यहां रहने वाले 'कोल' आदिवासी के नाम पर पड़ा। 'कोल' लोगों ने अपने को 'कोल' कहलाना पसन्द नहीं करते थे। छोटानागपुर से सिंहभूम उत्प्रवास के फलस्वरूप वे अपने को 'हो' कहलाना शुरू किया, जो नाम प्रमुखता से अब तक इस क्षेत्र के 'हो' आदिवासियों में प्रचलित है। [10]

'कोल्हान' प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदाओं से भरा हमारे देश का सबसे समृद्ध इलाका है। जातियता बहुलता 'हो' लोगों की महान सभ्यता एवं संस्कृति इसी क्षेत्र में फूली–फली है। 'सभ्य' समुहों से अलग 'हो' जाति इतिहास में निर्भिक, शान्त, गम्भीर एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामित्व के रूप में उल्लेखित कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे। न मुगलों के ना अंग्रेजों के ना ही राजा–राजवाड़ों के। [11]

सामान्यता माना जाता है कि 'हो' लोग छोटानागपुर से दक्षिण की ओर प्रस्थान करने में सबसे पहले उत्तरी सिंहभूम के पहाड़ी इलाकों (घाटों) में बसे थे। धीरे–धीरे दक्षिण की ओर सिंहभूम के मैदानों में चले गए तथा आज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किए।

पहाड़ी और वन क्षेत्र पर कब्जा कर अपनी जरूरत के हिसाब से जंगलों की सफाई की। अपनी किली या गोत्र के अनुसार गांव बसाए। [12] अपने ग्राम प्रशासन के लिए मानकी–मुण्डा स्वशासन प्रणाली का आयोजन किया। [13] ग्राम समुदायों की जीवित इस प्राचीनतम व्यवस्था में आमतौर पर सात से बारह गांवो के समूह को पीड़ कहा जाता है। उसमें इसके प्रधान को मानकी तथा गांवों के प्रधान को मुण्डा कहा जाता है। [14]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

अंग्रेजों के आने से पहले प्रशासनिक दृष्टिकोण से सिंहभूम का यह क्षेत्र विभिन्न शासकों के यथा–पोड़ाहाट, सरायकेला, खरसावां, धालमूम के शासकों के अधीनस्थ था। जिनकी अपनी एक अलग शासन व्यवस्था थी। इसके अलावे पोड़ाहाट राज्य के कुछ क्षेत्रों के आदिवासी 'हो' जनजातियों की एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। जिसे मानकी–मुण्डा स्वशासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 12 अगस्त 1765 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद संधि द्वारा बंगाल, बिहार, उड़िसा की दीवानी मिली। अपनी विस्तारवादी नीति से बंगाल में अधिकार करने के बाद आस–पास के क्षेत्र सर्वप्रथम धालभूम की ओर से सिंहभूम में प्रवेश किया। धालभूम के खिलाफ अभियानों में अंग्रेजो को पोड़ाहाट के राजा के संपर्क में ला दिया। बाद में सरायकेला और खरसावां की ओर रूख किया। 1820 और 1857 के बीच सिंहभूम का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यबाद के खिलाफ वीरतापूर्ण प्रतिरोध की कहानी है। यह 1820 में शुरू हुआ जब मेजर रफसेज ने तोपखाने, घुड़सवार सेना और पैदल सेना की एक बटालियन के साथ अपना सैन्य अभियान शुरू किया। अंग्रेजों ने 1820 में सरायकेला के राजा, खरसावां के शासक, और पोड़ाहाट के राजा के साथ समझौता किया जिसके द्वारा इन हो आदिवासियों के खिलाफ सैन्य सहायता के बदले में कंपनी सरकार की सुरक्षा को स्वीकार किया। [15] मार्च 1821 में कंपनी सरकार के साथ एक अप्रिय समझौते के तहत प्रतिहल आठ आने का भूगतान के लिए सहमत एवं मजबूर किया। [16]

1831–32 के कोल विद्रोह के शुरूआत से सिंहभूम भी प्रभावित हुई। कैप्टन विल्किंसन के अधीन ब्रिटिश सेना द्वारा लंबे समय तक ऑपरेशन के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। छह साल बाद हो पीड़ों के जनसमूह पर अपना शिकंजा मजबूत बनाने के उद्देश्य से 1836 में विल्किंसन के अधीन सैन्य अभियान शुरू हुए। 1837 ई0 तक सिंहभूम के सम्पूर्ण हो पीड़ों पर कैप्टन विल्किंसन ने अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात विल्किंसन ने इन कोल्हान के हो पीड़ों और पोड़ाहाट सरायकेला खरसावां के राजाओं के हाथ से 23 पीड़ लेकर तथा मयुरभंज के 4 हो बहुल पीड़ को उनके राजाओं के अधीन नहीं कर एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया और इसे ही ''कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट'' का नाम दिया

जिसका विधिवत गठन विल्किंसन ने फरवरी 1837 में किया था। [17] जिसमें कोल्हान को सीधे रूप से शासन करने का दायित्व ब्रिटिश सरकार ने लिया। तत्काल 'कोल्हान' में 22 पीड़ एवं 622 गांव थे, जिनकी जनसंख्या 90,000 की थी। यह नवगठित कोल्हान क्षेत्र साउथ–वेस्ट–फ्रेंटियर एजेंसी के अधीन रखा गया था, जिसका मुख्यालय चाईबास और इसमें प्रथम शासक लेफ्टिनेंट टिकेल को बनाया गया। एजेंट के सहायक के रूप में टिकेल को मानकी या इनके सहायकों के माध्यम से काम करना था या लोगों से सीधा सम्पर्क रखना था। [18]

जब कोल्हान को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के तहत लाया गया था तब स्थिति में बहुत बदलाव आया था। कोल्हान का प्रशासनिक इतिहास ब्रिटिश शासन के तहत किया गया था। इसके लिए 31 नियमावली की सूची बनायी गई, इसे सामान्यतः ''विल्किंसन नियमावली'' के नाम से जाना जाता है, जिसे विल्किंसन ने आदेश जारी किया था। इस नियम से इस क्षेत्र की प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था ने नई दिशा ग्रहण की थी।

विल्किंसन नियम जो अलग–अलग प्रकार से कोल्हान क्षेत्र में कार्य करते थे जिसको आधार बनाकर कोल्हान में आज भी स्वायतंत्रता के संघर्ष को जिंदा रखा गया है। जिस नियम के माध्यम से मानकी–मुण्डा पद्धति को औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। आपराधिक न्याय प्रशासन विशिष्ट वित्तीय और पुलिस शक्तियां प्रदान करते हुए मानकी–मुण्डा प्रणाली को बरकारार रखा गया। तथा कोल्हान अधीक्षक की नियुक्ति हुई।[19]

मानकी–मुण्डा व्यवस्था :

मानकी :

मानकी–मुण्डा लोकतंत्र पर आधारित प्रशासन की आदिम जनजातीय जीवित पारंपरिक व्यवस्था के रूप में सिंहभूम में कार्यशील है। मुल रूप से मानकी लोगों के बीच सुरक्षात्मक प्रतिनिधि की आवश्यकता में उत्पन्न हुई। [20] मानकी अपनी पीड़ में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। मुण्डा उसमें अधीनस्थ है। मानकी गांवों की मालगुजारी मुण्डा से प्राप्त कर सरकारी खजाना में जमा करता है। वसूली गई कुल रकम का 10 प्रतिशत कमिशन उसे प्राप्त होता है। प्रशासन मे जटिलता एवं आवश्यकतानुसार पीड़ को कोई इलाकों में बांटकर प्रत्येक में एक मानकी की नियुक्ति हुई थी। [21]

मूलतः मानकी पीड़ में उन्ही कर्त्तव्यों का निर्वाह करता है जो मुण्ड़ा गांव में करता है। गांवों के आपसी झगड़ों की फैसला मानकी की अध्यक्षता में पीड़ पंच करते है। मानकी समय–समय पर मुण्डा के साथ बैठकों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रगति तथा मालगुजारी वसूली की समीक्षा करता है।

सड़कों, सीमाओं और जंगलों की देखभाल करने, पुलिस तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए भूमिका निभाती है। अपने मुण्डाओं के परामर्श से रैयतों के साथ बंजर भूमि को बसाने तथा आकलन करने का हकदार है। संरक्षित वन नियमों के उल्लंघन की रिपार्ट करने के लिए बाध्य है। विशेष शर्तों (कदाचार) के उल्लंघन के लिए मानकी जुर्माना और बर्खास्तगी के लिए उत्तदायी है। [22] वंशानुक्रमानुसार परिवार का सदस्य उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। इस प्रकार आदिवासी गांवों के आर्थिक जीवन में मानकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। [23]

मुण्डा :

मुण्डा ग्राम समुदाय के प्रशासनिक, न्यायिक अधिकारों के साथ–साथ सामुदायिक अधिकारों के संरक्षक होता है। कोल्हान के प्रत्येक गांवों में एक मुण्डा है। वन उपज के संग्रह, तालाबों, तटबंधों, नहरों और सीमा चिन्हों के साथ–साथ सड़कों की मरम्मत के लिए बाध्य है, जो गांव की सीमा के भीतर है। ग्रामीणों से मालगुजारी तथा वसूले गए अन्य राशि भी मानकी के पास

जमा करता है। आमतौर पर गांव के लिए वही कार्य करता है, जो मानकी पीड़ के लिए करता है। कदाचार के लिए मुण्डा बर्खास्त किए जाते है। [24]

डाकुआ :

गांव में किसी मामले में बैठकी के उद्देश्य के लिए ग्रामीणों को बुलाने का कर्त्तव्य डाकुआ का होता है। ये मुलरूप से अधीनस्थ कर्मचारी होता है। डाकुआ मानकी का सिपाई है। तथा अनुमोदन वेतन पर इसकी नियुक्ति मानकी द्वारा की जाती है। ये कदाचार के वर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी है। डाकुआ दो प्रकार का है मानकी तथा मुण्डा का डाकुआ होता है। [25]

तहसीलदार :

ग्राम लेखाकार के रूप में मानकी द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती थी। इसे कमीशन के तौर पर गांव के उत्पादन के दो फीसदी हिस्सा मिलता है, जो मुण्डाओं से मालगुजारी वसूलता है। वह मार्गदर्शन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है।

सिद्धांत रूप में प्रत्येक गांव के लिए एक तहसीलदार होना चाहिए लेकिन व्यवहार में मानकी अपने पूरे इलाका के लिए एक या अधिक से अधिक दो तहसीलदार नियुक्ति करती है। [26]

तीन मानकी :

ग्रामीण स्वशासन में किसी भी मामला को जब मानकी द्वारा असफल पाया जाता था तो तीन मानकियों की एक समिति द्वारा इसे सुलझाया जाता था। [27]

दिउरी :

एक गांव की सीमा के भीतर जीवन के कुछ निश्चित सामाजिक एवं धार्मिक चेतना, पवित्र उपवन और देवता की देख–रेख तथा उपासना के लिए दिउरी है। मूलतः दिउरी सामाजिक तथा धार्मिक पर्व–त्याहारों में पूजा–पाठ करता था। गांव के धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति का दण्ड तय करता है। [28]

मूलतः गांव में शांति, सुरक्षा, एकता बनाये रखना सामाजिक, धार्मिक, पर्व–त्योहारों में ग्राम्य स्वशासन व्यवस्था में मानकी–मुण्डा एवं इनके सहायकों की अहम नेतृत्व एवं भूमिका होती थी। [29]

आदिम जनजातीय मानकी–मुण्डा स्वशासन व्यवस्था भारत के भीतर सिंहभूम क्षेत्र के ''कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट'' में एक जीवंत नमूने के रूप अपने मूल स्वरूप में आज भी अस्तित्व में है। [30]

इस प्रकार सिंहभूम में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ–साथ एक नए और अधिक प्रबुद्ध युग की शुरूआत हुई। इसने अव्यवस्थित 'हो' प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक युग के प्रशासनिक व्यवस्था के संपर्क में लाया और ब्रिटिश शासन के द्वारा अपनाई गई नीति द्वारा

उनकी (हो) इस व्यवस्था को एक सभ्य समाज के रीति–रिवाजों में शामिल किया जिसे इस क्षेत्र के लिए ''आधुनिक युग'' की शुरूआत की संज्ञा दी जा सकती है। [31]

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Sen. Ashoka Kumar; *Singhbhum: some historical gleanings,* Tata Collage, Chaibasa ,1986, P.5.
2. Ibid, P.6.
3. Roy Chaudhary, P. C*; Bihar District Gazetteers, Singhbhum*, Superintenedent Secretariat Press, Patna ,1958, P.1.
4. Ibid; P.239.
5. Ibid; P.7.
6. Ibid; P.9.
7. Ibid; P.13.
8. Ibid; P.216.
9. Sen, *some historical gleanings*, P.14.
10. Roy Chaudhary, Bihar, P.72.
11. Gagrai Ghanshyam; *Kolhan ewam porahat me manki munda prashashan vyavastha ewam bhumika;* ho bhasha sahitya vikas samiti, chaibasa, PP.1-2.
12. Singh C. P; *The Ho Tribe of Singhbhum*, Classical Publications, New Delhi, 1978, P.20.
13. Mishra, Asha & Pati, Chittaranjan Kumar; *Tribal Movement in Jharkhand*. concept publishing company PVT. LTD; New Delhi ,2010. P. 185.
14. -Sen Ashoka, *Representing Tribe: The Ho of Singhbhum Under Colonial Rule*,
15. Concept Publishig Company Pvt.Ltd; 2011, P.14.
16. Singh, *The Ho Tribe of Singhbhum*, P.21.
17. Sinha, Aditya Prasad; *Ho lok katha: ek anushilan*, vikalp prakasha, Delhi, 2014, P.2.
18. -Sahu Murali; *The Kolhan Under the British Rule*, The new Diamond Press
19. Culcutta, 1985, P.123.
20. Sen, *Some Historical Gleanings*, P. VIII.
21. Anurag, fasal; *Aadivasi Swayat Shaashan*, TRTC, Ranchi, P.8.
22. Sen, *Some Historical Gleanings*, P.IX
23. –Sinha, Ho lokkatha, PP.16-17.
24. Sawaiyan, A.K*; Kolhan The Land of Ho*, Ekta Prakashan, Gutusai, Chaibasa, PP.9,14-15.
25. -Pal, Sudhir & Ranendra; *Jharkhand Encyclopedia, Khand -1*, Vani
26. Prakashan, New Delhi, PP.186, 194.
27. Sen, *Some Historical Gleanings*, P.X.
28. -Roy Chaudhary, Bihar, P.438.
29. Sawaiyan, *The Land of Ho*, P.2.
30. Taylor, James H*; Final report on the survey and settlement operations in the Porahat Estate District Singhbhum ,1900-1903,* Bengal Secreteriat Press Calcutta, 1904, P.18.

31. Roy, Chaudhary, *Bihar*, PP.363,373.
32. Tuckey, A.D; *Final report on the re settlement of the kolhan governmemt Estate in the District of Singhbhum ,1913-1918,* Patna Superintendend Government Printing Bihar and Orisha ,1920, P.12.
33. *Final Report on the settlement of the kolhan Government Estate in the District Singhbhum*, Bengal Secretariat Press, Calcutta ,1898, PP.39-40.
34. -Prashad, Chandra Bhaushan*; Final report on survey and settlement operations in the District of Singhbhum ;1958 -1965,* Superintentendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1970, P.51.
35. Tuckey AD., *Final Report* P.14
36. Sahu, The Kolhan Under, P.134.
37. *Final report on the settlement of the kolhan government Estate in the District Singhbhum,* Bengal Secretariat Press, Calcutta ,1898, P.40.
38. Tuckey A. D, Final Report P.14.
39. Pal, Sudhir & Tasvir, Shwet Shyam; *Jharkhand Encyclopedia, Khand -3,* Vani Prakashan, New Delhi, 2008, P.122.
40. Roy Chaudhary, *Bihar,* P.246.
41. Pal, Sudhir & Shwet Shyam, *Jharkhand Encyclopedia* PP.122-123.
42. Sawaiyan, A.K, *Kolhan the Land of Ho*, PP.9,14.
43. Singh C. P., *Ho Tribe of Singhbhum*, PP.161-162.